

कार्यालय नगर परिषद्, नागौर

"पट्टा विलेख (स्वत्व अधिकार पत्र) अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961"

दिनांक :- 30/08/19

क्रमांक/न.प.ना./2019/ 150

पत्रावली संख्या : 691/2017-18



यह ग्रांट एक्ट का लेख पत्र आज दिनांक 30/08/19 को नगर परिषद नागौर जो प्रथम पक्षकार है तथा श्री ताराचंद मेघवाल पुत्र श्री चन्दाराम पुरुष आवंटी की स्थिति में पत्नी का नाम श्रीमती कालीदेवी जाति मेघवाल निवासी मेघवाल का मौहल्ला, बड़ली, नागौर उनके आधिपत्य की अधोलिखित एवं मानचित्रानुसार दर्शित आवासीय सम्पत्ति/भवन (जैसी भी स्थिति है) का पट्टा स्वत्व अधिकार मण्डल/बोर्ड/एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय/स्वीकृती दिनांक 08/06/19 के अनुसार, राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के प्रावधानान्तर्गत प्रदान किया जाता है।

- इस आवासीय सम्पत्ति/भवन की टोकन मनी नगर परिषद, नागौर के कोष में रसीद संख्या 20/08/19 को जमा हो चुकी है।
 - इस पट्टा विलेख के तहत जिस आवासीय सम्पत्ति/भवन के स्वत्व का अधिकार पट्टाधारी के पक्ष में दिया जा रहा है, उस आवासीय सम्पत्ति/भवन का मूल्य वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि रुपये 25200 एव रुपये 1961 के प्रावधानों के तहत जारी होने के कारण यह पट्टा विलेख नाम मात्र टोकन फीस 1 रुपये (अक्षरे एक रुपया मात्र) पर जारी किया जा रहा है।
 - चूंकि यह पट्टा/लीज डीड एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन/पंजीयन अनिवार्य है, किन्तु सरकार की ओर से "ग्रान्ट" के रूप में दी गई भूमि के स्वामित्व के रूप में निष्पादित होने के कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 90 (डी) के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीयन की अनिवार्यता से मुक्त है तथा धारा 90 की उपधारा (2) के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीयन नहीं करवाने पर भी ऐसे पट्टे की वही विधिक मान्यता होगी जो कि रजिस्टर्ड/पंजीकृत पट्टे की होती है।
 - इस पट्टा विलेख के आधार पर पट्टाधारक उक्त सम्पत्ति/भवन को राज्य सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकारी ऋणदायी संस्था/राष्ट्रीयकृत अथवा अराष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्था के पास रहन/बंधक/गिरवी रखा जा सकेगा।
 - इस पट्टा विलेख के प्रथम एवं मूल पट्टाधारक से राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानानुसार लीज नहीं वसूल की जावेगी किन्तु पट्टाधीन आवासीय सम्पत्ति/भवन को किसी अन्य को विक्रय किये जाने पर क्रेता के नाम हस्तान्तरण शुल्क के साथ साथ राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत नाम हस्तान्तरण तिथि से लीज वसूलनीय होगी।
 - पट्टे में उल्लेखित सम्पत्ति/भवन को केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग/उपभोग में लाया जा सकेगा, इसका वाणिज्यिक/व्यावसायिक या अन्य किसी प्रयोजन से उपयोग/उपभोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
 - पट्टे में उल्लेखित सम्पत्ति/भवन पर निर्माण/विस्तार कराये जाने से पूर्व नगर परिषद, नागौर से प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत भवन मानचित्र स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी शर्तों एवं नियमों की पालना हेतु पट्टेदार बाध्य रहेगा।
 - पट्टा विलेख निष्पादन के पश्चात भूमि के स्वामित्व/दस्तावेजों के सम्बन्ध कोई विवाद होने की स्थिति में नगर परिषद आयुक्त को पट्टा निरस्त करने का अधिकार स्वतन्त्र होगा।
 - पट्टा विलेख निष्पादन के बाद यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्बन्ध में या मौके पर भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद और शिकायत/जांच/प्रथम सूचना रिपोर्ट होने पर नगर परिषद के अधिकारी/मंत्रालयिक कर्मचारियों/अन्य किसी भी श्रेणी के कर्मचारी का कोई दायित्व नहीं होगा। किसी प्रकार की जांच में जांच अधिकारी द्वारा परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुसंधान में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। प्रस्तुत दस्तावेजात/भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध सब प्रकार की जिम्मेदारी आवेदक स्वयं (पट्टाधारी) की होगी।
- इस आवासीय सम्पत्ति/भवन की सीमायें एवं विस्तार संलग्न नक्शे के अनुसार निम्न प्रकार से है :-
- | | | | |
|-----------|---|------------|-------------------------|
| उत्तर में | श्रीमती डालीबाई व सत्यनारायण मेघवाल की जायेगा | दक्षिण में | रामनिवास मेघवाल का मकान |
| पूर्व में | श्री रामनिवास मेघवाल | पश्चिम में | रास्ता |
- नाप जमीने 76.73 वर्गगज संलग्न नक्शानुसार जो इस पट्टे का अभिन्न हिस्सा है।

आयुक्त
नगरपरिषद्, नागौर

ताराचंद काली
सभापति
नगरपरिषद्, नागौर

सभापति
नगरपरिषद्, नागौर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD NAGAUR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री TARACHAND MEGHWAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री CHANDA RAM, व्यवसाय Otherजाति MEGHWAL House No.:., Colony: ., Area: NAGAUR, City: NAGAUR, Pin code: 341001, District: NAGAUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 31 Signature :
3	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT KALI DEVI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री TARACHAND MEGHWAL, व्यवसाय Otherजाति MEGHWAL House No.:., Colony: ., Area: NAGAUR, City: NAGAUR, Pin code: 341001, District: NAGAUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 31 Signature : तासपह

ने लेख्यपत्र Lease or allotment is issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 को फेर व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 1/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JITENDRA SANKHLA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PUKHRAJ SANKHLA जाति MALI Age: 27 Add: House No.:., Colony: ., Area: NAGAUR, City: NAGAUR, Pin code: 341001, District: NAGAUR, State: RAJASTHAN			Signature

201901099011778

उप पंजीयक, NAGAUR

Lease or allotment is issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961

